महारानी महाविद्यालय साईकिल/स्कूटर/कार पार्किंग (स्टैण्ड) संचालन हेतु आवेदन पत्र (निविदा प्रपत्र)

मूल्य 200/– (दो सौ रूपये)
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.03.2021
समय दोपहर 1.00 बजे तक

आवेदक का हस्ताक्षरित प्रमाणित फोटो

1. व्यक्ति/फर्म का नाम ....
   ....
2. फर्म के स्वामी का नाम ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. आयु ....
5. शैक्षणिक योग्यता ....
6. फर्म का पूरा पता ....
   ....
   ....

   निवास का पूरा पता ....
   ....
   ....

   टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. (यदि हो)....................
7. वर्तमान व्यवसाय ....
8. पूर्व में स्टैण्ड चलाने का अनुभव है? हां/नहीं
   यदि है तो पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें ....
   ....
9. किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते, जो आपको भली प्रकार से जानते हों।
   1. ....
   ....
   ....
   2. ....
   ....
   ....
10. PAN No. ....GST No....................
11. निविदा पत्र के साथ रू. 10,000/– धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है। विवरण निम्नानुसार है –

    डी.डी. संख्या .... दिनांक ....राशि रूपये 10,000/–

    बैंक का नाम ....

12. महाविद्यालय छात्राओं के लिए 30 जून 2022 तक निर्धारित समय तक स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड के प्राप्त किये गये पार्किंग शुल्क में से 40 प्रतिशत की दर पर लेने को तैयार हूँ। साईकिल पार्किंग निःशुल्क है तथा यह भुगतान मेरे/हमारे द्वारा महाविद्यालय में कुल प्रविष्ठ छात्राओं की संख्या एवं जमा पार्किंग शुल्क राशि के अनुसार प्राप्त करना स्वीकार है।

13. नवागन्तुक एवं बाहर के परीक्षार्थियों के वाहन का प्रति दिन का स्टैण्ड किराया निम्न दरों पर लेने को तैयार हूँ/हैं :–

(अ) कार – रू. 10/– प्रतिदिन

(ब) स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड दर– रू. 5/– प्रतिदिन

(स) साईकिल दर रूपया – निःशुल्क

(द) रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिन परीक्षा या अन्य कार्यक्रम के दौरान भी बाहर के आगन्तुकों से उपरोक्त पार्किंग शुल्क ही लागू होगा।

(पार्किंग संचालन के लिए यह प्रस्तावित राशि भरा जाना आवश्यक है। इसे रिक्त छोड़ने अथवा नहीं भरने की स्थिति में टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। पार्किंग कमेटी को इसे अस्वीकृत/रदद् करने का अधिकार होगा।)

14. अन्य कोई विवरण जो आप देना चाहें ....

....

....

उपर्युक्त समस्त जानकारी मैंने/हमने सही लिखा है। यदि मुझे/हमें वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से 30.06.2022) में महाविद्यालय के स्टैण्ड संचालन का अवसर मिला तो मैं/हम निष्ठापूर्वक कार्य कर श्रेष्ठतम सेवायें निष्पादित करेंगे/करूंगा।

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें व नियम मैंने/हमनें अच्छी तरह पढ़ व समझ लिये हैं, जो मुझे/हमें स्वीकार है।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर..........................

आवेदक का पूरा नाम ....

पता ....

....

(यदि मुहर हो तो वह भी लगायें)

नोट :– आवेदक अपना प्रमाणित परिचय पत्र संलग्न करें। (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/मतदाता परिचय पत्र)

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय, जयपुर।

साईकिल/स्कूटर/कार पार्किंग (स्टैण्ड) संचालन की शर्तें एवं नियम

1. निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। **निविदा प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।**
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ प्राचार्या, महारानी महाविद्यालय के पक्ष में रू. 10,000 का बैक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। जो सफलतम निविदादाता के अतिरिक्त सभी को लौटा दिया जाएगा।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 15.03.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे महाविद्यालय में खोले जायेगे। इसमें सभी निविदादाताओं को उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. पार्किंग संचालन की संविदा अवधि 01.04.2021 से 30.06.2022 अथवा निविदा का निर्धारण होने के उपरोक्त तिथी से लागू (Effective) होने पर दिये जाने वाले ठेका (अनुबन्ध) पत्र के अनुरूप सीमित होगी।
5. सफलतम निविदादाता को पार्किंग संचालन करने से पूर्व 20,000 रूपये अमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे, जो संविदा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने पर उसे लौटा दिए जाऐंगे व अमानत राशि सुरक्षित राशि में समायोजित कर ली जाऐगी उस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. ठेका स्वीकृत होने पर नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
7. सफलतम निविदादाता के द्वारा मासिक किराया राशि के 15 माह (01.04.2021 से 30.06.2022) के अग्रिम चैक देने होंगे। चैक में निर्धारित किराये की राशि एवं प्रतिमाह की दिनांक अंकित करनी होगी।
8. ठेकेदार को महाविद्यालय द्वारा वार्षिक भुगतान छात्राओं से प्राप्त पार्किंग शुल्क में से 40 प्रतिशत की दर से ठेके की अवधि समाप्त होने पर किया जावेगा। वर्तमान सत्र 2020–21 में शेष रहे तीन माह (अपैल 2021 से जून 2021) के लिए छात्राओं से प्राप्त पार्किंग शुल्क का 40% अनुपातिक रूप से देय होगा। अर्थात् छात्रा संख्या के अनुसार तीन माह के पार्किंग शुल्क का 40% का हिस्सा देय है।
9. ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस प्राप्त कर जमा कराना होगा।
10. ठेकेदार किसी भी नियमित छात्रा से सीधे किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं करेगा।
11. महाविद्यालय परिसर में पार्किंग स्टेण्ड से वाहन से पेट्रोल निकालने व अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर तुरन्त नुकसान का भुगतान करना होगा।
12. महाविद्यालय परिसर में पार्किंग स्टेण्ड से कोई गाड़ी/वाहन चोरी हो जाता है, तो संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक को वाहन की कीमत चुकाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. नवागन्तुक एवं बाहरी परीक्षार्थियों के वाहन की स्टैण्ड फीस निर्धारित दर पर वसूल करने का कार्य ठेकेदार का होगा।
14. विश्वविद्यालय स्टॉफ सदस्यों से किसी भी प्रकार की फीस वसूल नहीं करेगा।
15. वाहनों को सुचारू रूप से खड़ा कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस कार्य हेतु कम से कम दो व्यक्ति ठेकेदार को नियुक्त करने होंगे। जिनकी प्रमाणित फोटो व पुलिस जांच प्रमाण पत्र भी ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।
16. स्टैण्ड रखरखाव व सफाई की व्यवस्था ठेकेदार की होगी। यदि स्टैण्ड पर गंदगी पाई गई तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
17. **ठेके की दरों की सूचना स्टैण्ड की उचित जगह पर बड़े अक्षरों में लगाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को अपने नियुक्त कर्मचारियों के नाम व पते की जानकारी कार्यालय को देनी होगी व अपना परिचय पत्र भी रखना होगा।**
18. कर्मचारियों को नीली शर्ट पर स्टैण्ड महारानी कॉलेज अंकित करना होगा।
19. अवकाश के दिन प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य कार्यक्रम से कॉलेज खुलेगा, तो स्टैण्ड चालू रखना होगा।
20. **ठेके में किसी प्रकार के असंतोष की बात या आचरण संबंधी शिकायत होने पर ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।**
21. किसी भी या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित रहेगा।
22. अच्छी सेवायें देने पर ठेका एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित रहेगा।
23. महाविद्यालय प्रशासन को समय व परिस्थिति के अनुसार नियम परिवर्तन का अधिकार रहेगा।
24. टेण्डर में प्रकाशित शर्तें ठेकेदार को मान्य होगी।
25. महिला ठेकेदार को प्राथमिकता दी जावेगी।
26. समस्त श्रम कानूनों की पालना ठेकेदार फर्म को करनी होगी।
27. श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। कॉलेज का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
28. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी श्रम अधिनियम के अनुसार करनी होगी।
29. किसी भी प्रकार का कर यथा सेवा कर, वैट (VAT), जीएसटी (GST), आयकर आदि समस्त सरकारी देनदारियों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
30. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि उक्त सभी शर्तें आपको स्वीकार है।
31. किसी विवाद की स्थिति में प्राचार्या का निर्णय अंतिम होगा।
32. समस्त मामलों में विवाद क्षेत्र जयपुर होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(यदि मोहर हो तो वह भी लगायें)